श्री संजय व्यास एड. श्री लालचन्द यादव एड

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

रामे.२०२ / मगाला
386 - 2011

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25/4/18	पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई। समयाभाव के कारण आज आदेश लिखाया नहीं जा सका। अतः पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 04/5/2018 को पेश हो।	
04/5/18	आज यह पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई। यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर (प्रथम) द्वारा पारित अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 16/7/2012 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई। संक्षिप्त में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी / अपीलार्थीस द्वारा एक वाद बाबत तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया, जिसमे प्रतिवादीगण की तरफ से जवाब वाद प्रस्तुत हुआ एवं प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 3/5/2011 को प्रारम्भिक निर्णय एवं डिक्री इस प्रकार पारित किया गया कि वादीगण तथा प्रतिवादीगण अपने-अपने निहित हिस्से अनुसार विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार है, उन्हे अपनी खातेदारी भूमि का विधिवत तकासमा कराने का वैधानिक अधिकार हासिल है। चूंकी भूमि वादग्रस्त पूर्व में बाहमी बँटवारे के अनुसार बाँट रखी है अतः सभी सहखातेदारो के कब्जा काश्त को प्राथमिकता प्रदान करते हुये बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस तकासमा किया जाना उचित है अतः दावा प्राथमिक डिक्री करते हुये तहसीलदार जयपुर को निर्दिष्ट किया जाता है कि ग्राम	

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
386/2012	रामेश्वर / मंगला	

सिवाड़ तहसील जयपुर स्थित भूमी पुराना खाता संख्या 205 व नया खाता सं. 229 के खसरा नम्बर 274/1084 रकबा 33.07 बीघा, पुराना खाता सं. 205 व नया खाता संख्या 233 के खसरा नम्बर 289 रकबा 0.06 तथा पुराना खाता सं. 206 व नया खाता सं. 234 के खसरा नम्बर 276 रकबा 0.03, 277 रकबा 0.06, 277/1106 रकबा 0.02, 278 रकबा 1.09, 279 रकबा 1.18, 282 रकबा 0.19 शामिलाती नम्बर 284, 285 रकबा 0.19, 288 रकबा 0.16, 291 रकबा 1.13, 294 रकबा 1.09 शामिलाती नम्बर 300, 297 रकबा 1.15, 299 रकबा 1, 301 रकबा 0.07, 304 रकबा 1.10, शामलाती नम्बर 317, 305 रकबा 0.19, 309 रकबा 1.03, 311 रकबा 0.14, 315 रकबा 2.09, 318 रकबा 0.09, 275 रकबा 1.03, 303 रकबा 0.07, 310 रकबा 1.14, 312 रकबा 0.06 कुल किता 23 कुल क्षेत्रफल 26 बीघा 10 बिस्वा के निहित खातेदारान के निर्दिष्ट हिस्से अनुसार उनके कब्जे काश्त को प्राथमिकता प्रदान करते हुये बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस उभयपक्षों की मौजूदगी मे तकासमा कर कुर्रेजात रिपोर्ट 15 दिवस मे भिजवाये। तहसीलदार जयपुर को पालना हेतु लिखा जावे। अधिनस्थ न्यायालय पारित उक्त प्रारम्भिक निर्णय व डिक्री के विरूद्ध किसी पक्षकार द्वारा अपील प्रस्तुत नही की गई है, जिसका तात्पर्य यही है कि उक्त प्रारम्भिक निर्णय व डिक्री से सभी पक्षकार सहमत थे किन्तु उसके अनुसरण मे जो अन्तिम डिक्री पारित की गई है, के

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

रामेश्वर | मंगला

तारीख हुक्म	386/2012 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहकाम जारी हुक्म की तामील में जारी हुए
	3	
	विरुद्ध वादी / अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है, जिस पर बहस अभिभाषक पक्षकारान समायत की गई। अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस के प्रारम्भ मे हमारा ध्यान् वादी / अपीलार्थी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसील से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के विरुद्ध दिनांक 17/1/2012 को प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्र की ओर आकर्षित करा कर बहस में निवेदन किया कि सुयोग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री पारित करते हुये तहसीलदार जयपुर को स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि वे उभयपक्षो की मौजूदगी में तकासमा कर कुर्रेजात रिपोर्ट प्रस्तुत करे किन्तु तहसीलदार द्वारा न तो वादी / अपीलाण्टस को कोई मौके पर उपस्थित होने हेतु सूचना दी गई एवं न ही स्वयं मौके पर जाकर कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार की गई बल्कि पटवारी हल्का द्वारा तैयार की गई कुर्रेजात रिपोर्ट को ही उनके पत्र क्रमांक 4565 दिनांक 08/12/2011 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय को प्रेषित कर दी गई, जिससे वादी / अपीलाण्टस द्वारा आपत्ति भी अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई एवं आपत्ति पत्र मे स्पष्ट अंकन किया गया कि किस पक्षकार के हक मे कौन-कौन से खसरा नम्बर हिस्से में आने चाहिये किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बगैर आपत्तियो का निस्तारण किये तहसील से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर अन्तिम निर्णय व डिक्री मात्र यह अंकित करते हुये कि वादी / अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत	

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

तारीख हुक्म	386/2012 रामेश्वर / मंगला हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 4	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

कुर्रेजात आपत्ति प्रार्थना पत्र सारहीन व तथ्यहीन होने के कारण खारिज किया जाता है एवं विवादित भूमि का मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट के डावा अन्तिम डिक्री कर दिया गया जबकी वादी। अपीलार्थी द्वारा अपने आपत्ति प्रार्थना पत्र में स्पष्ट आपत्तियाँ दर्ज की गई थी, जिनका प्रत्येक आपत्ति का विस्तृत निस्तारण आवश्यक था जो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नही किया गया है, अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम निर्णय व डिक्री निरस्त फरमाया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को पुनः प्रेषित किया जावे एवं तहसीलदार को निर्देश भी प्रदान किये जावे कि वे पक्षकारान की उपस्थिति में कुर्रेजात स्वयं तैयार करे तत्पश्चात अन्तिम डिक्री पारित की जावे।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस मे मुख्य रूप से यही निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम निर्णय एवं डिक्री की पालना हो चुकी है एवं प्रश्नगत आराजी मे से कुछ भूमि विक्रय भी की जा चुकी है एवं प्रश्नगत आराजी पर ऋण भी लिये जा चुके है। अपीलार्थी द्वारा अपील मीमो मे विभाजन के विरुद्ध सारभूत कारण नही बताया गया है, न ही रेस्पोडेन्ट स-1 को खसरा नम्बर 1084 दिया गया है, पर कोई आपत्ति जताई गई है। अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम निर्णय व डिक्री सही होने से अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे।

हमने बहस अभिभाषक पक्षकारान पर गौर किया एवं पत्रावलीओ

ह०
राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

तारीख हुक्म	रामेश्वर / मंगला 386/2012 — हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए

का अवलोकन किया। सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक निर्णय व डिक्री पारित करते हुये तहसीलदार जयपुर को निर्देश दिये गये थे कि बारे मिसल एवं वाकयात मौके पर उभयपक्षों की मौजूदगी मे तकासमा कर कुरैजात रिपोर्ट 15 दिवस मे भिजवाये। उक्त निर्णय के संदर्भ मे तहसीलदार जयपुर से प्राप्त कुरैजात रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। उक्त कुरैजात रिपोर्ट पर किसी भी पक्षकार के हस्ताक्षर नही है, जिससे स्पष्ट है कि कुरैजात रिपोर्ट पक्षकारान की अनुपस्थिति में तैयार हुई है अन्यथा कुरैजात रिपोर्ट से जिनकी सहमति थी, उनके हस्ताक्षर होते एवं जिनकी सहमति नही थी वे कदाचित उस पर हस्ताक्षर नही करते। जिससे प्रथमदृष्टया स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रारम्भिक डिक्री में दिये गये निर्देशों पालना नही की गई एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी अन्तिम डिक्री पारित करते वक्त इस तथ्य का संज्ञान नही लिया गया। इसके अतिरिक्त जो वादी/अपीलान्ट द्वारा कुरैजात रिपोर्ट के संदर्भ मे आपत्ति प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, मे तथ्यवार आपत्तियाँ दर्ज कराते हुये पक्षकारान के हिस्से मे कौन-कौन से खसरा नम्बरान आने चाहिये भी अंकित किये गये थे। उक्त आपत्तियो को अधीनस्थ न्यायालय

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
386/2012	रामेश्वर / मंगला — 6	

द्वारा स्पष्ट निस्तारण नहीं करते हुए मात्र यह अंकित करते हुये कि वादीगण अधीनस्थ द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात आपत्ति प्रार्थना पत्र सारहीन व तथ्यहीन होने के कारण खारिज किया जाता है एवं अन्तिम डिक्री कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर पारित कर दी गई, जिससे स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी/अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति कुर्रेजात रिपोर्ट के प्रार्थना पत्र का विधिवत निस्तारण न कर सरसरी तौर पर ही खारिज कर दिया गया है जो उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 16/7/2012 निरस्त किये जाते है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रकरण मे पारित प्रारम्भिक निर्णय व डिक्री की पालना मे पक्षकारान की उपस्थिति मे तहसील से सभी पक्षकारान के कब्जे काश्त को प्राथमिकता प्रदान करते हुये बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर कुर्रेजात तैयार कर, प्राप्त कर पुनः प्रकरण का राजस्व मण्डल द्वारा विभाजन से सम्बन्धित बनाये गये नियमो के परिपेक्ष मे निस्तारण करे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.05.18 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर